



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2025 / 39

दर्ज तिथि:-30.01.2025

1. लाधुसिंह पुत्र पाबूदानसिंह
2. गोतमसिंह पुत्र मोडसिंह
3. ईश्वरसिंह पुत्र मोडसिंह
4. अनेकसिंह पुत्र मोडसिंह
5. तारी कंवर पत्नी मोडसिंह
6. दीपसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
7. सोहनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
8. ईश्वरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
9. रसालकंवर पत्नी इन्द्रसिंह

जाति राजपुत निवासी गादेवी, बांटा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. आईदानसिंह पुत्र प्रतापसिंह
2. भंवरसिंह पुत्र प्रतापसिंह
3. भैरसिंह पुत्र प्रतापसिंह
4. झमूकंवर पत्नी आसुसिंह
5. बलवन्तसिंह पुत्र लिछमणसिंह
6. जयसिंह पुत्र लिछमणसिंह
7. भंवरसिंह पुत्र लिछमणसिंह
8. पारसकंवर पत्नी दुरगसिंह

जाति राजपुत निवासी गादेवी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

9. कालुराम पुत्र निम्बाराम

जाति जाट निवासी गादेवी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

10. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जगदीश विश्नोई

प्रतिवादीगण:- एक तरफा



—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-16.05.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 507/191/2.1312 है0, 508/191/2.1312 है0, 510/423/2.2797 है0, 511/423/2.2797 है0, 113/0.0081 है0 वाके ग्राम गादेवी पटवार हल्का बांटा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामील अनुस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में दिनांक 10.03.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुडामालानी से कुर्रजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/707 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/707 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
-------------------------	---------------------

<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 02.05.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1603-1620 दिनांक 23.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 02.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1603-1620 दिनांक 23.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 02.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2076-2079 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 507/191/2.1312 है0, 508/191/2.1312 है0, 510/423/2.2797 है0, 511/423/2.2797 है0, 113/0.0081 है0 वाके ग्राम गादेवी पटवार हल्का बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करे तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 507/191/2.1312 है0, 508/191/2.1312 है0, 510/423/2.2797 है0, 511/423/2.2797 है0, 113/0.0081 है0 वाके ग्राम गादेवी पटवार हल्का बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता

कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अनेकसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/12 ईश्वरसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/12 गोतमसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/12 तारीकंवर पत्नी मोडसिंह हि0 1/4 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार नाबालिग ईश्वरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हि0 7/72 दीपसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हि0 7/72 सोहनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हि0 7/72 रसालकंवर पत्नी इन्द्रसिंह हि0 5/24 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	गादेवी	510 / 423	2.2797	रेल अव्वल
किता 01 रकबा 2.2797 है0				
आईदानसिंह पुत्र प्रतापसिंह हि0 1/4 भैरसिंह पुत्र प्रतापसिंह हि0 1/4 भंवरसिंह पुत्र प्रतापसिंह हि0 1/4 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार झमूकंवर पत्नी आसुसिंह हि0 1/4 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	गादेवी	511 / 423	2.2797	रेल अव्वल
किता 01 रकबा 2.2797 है0				
अनेकसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/12 ईश्वरसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/12 गोतमसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/12 तारीकंवर पत्नी मोडसिंह हि0 1/12 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार नाबालिग ईश्वरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हि0 7/72 दीपसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हि0 7/72 सोहनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हि0 7/72 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार लाधूसिंह पुत्र पाबुदानसिंह हि0 1/3 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार रसालकंवर पत्नी इन्द्रसिंह हि0 1/24 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	गादेवी	507 / 191	2.1312	बा0दो0
किता 01 रकबा 2.1312 है0				
आईदानसिंह पुत्र प्रतापसिंह हि0 1/4 भैरसिंह पुत्र प्रतापसिंह हि0 1/4 भंवरसिंह पुत्र प्रतापसिंह हि0 2381 / 10656 झमूकंवर पत्नी आसुसिंह हि0 1/4	गादेवी	508 / 191	2.1312	बा0दो0

जाति राजपूत कालूराम पुत्र निम्बाराम हि0 283/10656 जाति जाट सा0 देह खातेदार				
किता 01 रकबा 2.1312 है0				
अनेकसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/24 ईश्वरसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/24 गोतमसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/24 तारीकंवर पत्नी मोडसिंह हि0 1/24 नाबालिग ईश्वरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 7/144 दीपसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हि0 7/144 सोहनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हि0 7/144 रसालकंवर पत्नी इन्द्रसिंह हि0 1/48 लाधुसिंह पुत्र पाबुदानसिंह हि0 1/6 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार बलवंतसिंह पुत्र लिछमणसिंह हि0 1/8 जयसिंह पुत्र लिछमणसिंह हि0 1/8 भंवरसिंह पुत्र लिछमणसिंह हि0 1/8 पारसकंवर पत्नी दुरगसिंह हि0 1/8 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	गादेवी	113	0.0081	गै0मु0
किता 01 रकबा 0.0081 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाडमेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2025 / 39

दर्ज तिथि:-30.01.2025

1. लाधुसिंह पुत्र पाबूदानसिंह
2. गोतमसिंह पुत्र मोडसिंह
3. ईश्वरसिंह पुत्र मोडसिंह
4. अनेकसिंह पुत्र मोडसिंह
5. तारी कंवर पत्नी मोडसिंह
6. दीपसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
7. सोहनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
8. ईश्वरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
9. रसालकंवर पत्नी इन्द्रसिंह

जाति राजपुत निवासी गादेवी, बांटा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।

बनाम

1. आईदानसिंह पुत्र प्रतापसिंह
2. भंवरसिंह पुत्र प्रतापसिंह
3. भैरसिंह पुत्र प्रतापसिंह
4. झमूकंवर पत्नी आसुसिंह
5. बलवन्तसिंह पुत्र लिछमणसिंह
6. जयसिंह पुत्र लिछमणसिंह
7. भंवरसिंह पुत्र लिछमणसिंह
8. पारसकंवर पत्नी दुरगसिंह

जाति राजपुत निवासी गादेवी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

9. कालुराम पुत्र निम्बाराम

जाति जाट निवासी गादेवी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

10. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

.....असल प्रतिवादीगण

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जगदीश विश्नोई

प्रतिवादीगण:- एक तरफा

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 507/191/2.1312 है, 508/191/2.1312 है, 510/423/2.2797 है, 511/423/2.2797 है, 113/0.0081 है वाके ग्राम गादेवी पटवार हल्का बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अनेकसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/12 ईश्वरसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/12 गोतमसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/12 तारीकंवर पत्नी मोडसिंह हि0 1/4 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	गादेवी	510/423	2.2797	रेल अब्बल
नाबालिग ईश्वरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हि0 7/72 दीपसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हि0 7/72 सोहनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हि0 7/72 रसालकंवर पत्नी इन्द्रसिंह हि0 5/24 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार				
किता 01 रकबा 2.2797 है0				
आईदानसिंह पुत्र प्रतापसिंह हि0 1/4 भैरसिंह पुत्र प्रतापसिंह हि0 1/4 भंवरसिंह पुत्र प्रतापसिंह हि0 1/4 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार झमूकंवर पत्नी आसुसिंह हि0 1/4 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	गादेवी	511/423	2.2797	रेल अब्बल
किता 01 रकबा 2.2797 है0				
अनेकसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/12 ईश्वरसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/12 गोतमसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/12 तारीकंवर पत्नी मोडसिंह हि0 1/12	गादेवी	507/191	2.1312	बा0दो0

जाति राजपूत सा0 देह खातेदार नाबालिग ईश्वरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हि0 7/72 दीपसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हि0 7/72 सोहनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हि0 7/72 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार लाधूसिंह पुत्र पाबुदानसिंह हि0 1/3 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार रसालकंवर पत्नी इन्द्रसिंह हि0 1/24 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार					
किता 01 रकबा 2.1312 है0					
आईदानसिंह पुत्र प्रतापसिंह हि0 1/4 भैरसिंह पुत्र प्रतापसिंह हि0 1/4 भंवरसिंह पुत्र प्रतापसिंह हि0 2381/10656 झमूकंवर पत्नी आसुसिंह हि0 1/4 जाति राजपूत कालूराम पुत्र निम्बाराम हि0 283/10656 जाति जाट सा0 देह खातेदार	गादेवी	508/191	2.1312	बा0दो0	
किता 01 रकबा 2.1312 है0					
अनेकसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/24 ईश्वरसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/24 गोतमसिंह पुत्र मोडसिंह हि0 1/24 तारीकंवर पत्नी मोडसिंह हि0 1/24 नाबालिग ईश्वरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 7/144 दीपसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हि0 7/144 सोहनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह हि0 7/144 रसालकंवर पत्नी इन्द्रसिंह हि0 1/48 लाधूसिंह पुत्र पाबुदानसिंह हि0 1/6 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार बलवंतसिंह पुत्र लिछमणसिंह हि0 1/8 जयसिंह पुत्र लिछमणसिंह हि0 1/8 भंवरसिंह पुत्र लिछमणसिंह हि0 1/8 पारसकंवर पत्नी दुरगसिंह हि0 1/8 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	गादेवी	113	0.0081	गै0मु0	
किता 01 रकबा 0.0081 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज

खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नजरी नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर

6-

